पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 569/2019

सरैया थाना कांड संख्या-304/2010 जिला- मुजफ्फरपुर से उत्पन्न

==========

जिया लाल महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पुरुष, पुत्र- स्वर्गीय दहाउर महतो, निवासी ग्राम- महमदपुर वाया - चकिया, थाना - सरैया, जिला - मुजफ्फरपुर

... ... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री बीरेंद्र नाथ मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-- धारा 374(2)--- भारतीय दंड संहिता--- धारा 302, 341, 504, 34--- दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---- मृत्यु पूर्व कथन का साक्ष्य मूल्य--- अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप है कि उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर मृतक पर चाकू से वार किया, जिसके कारण मृतक गिर गया और बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई--- अपीलार्थी की ओर से तर्क कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और वह घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था--- आगे तर्क यह कि मृतक का मृत्यु पूर्व कथन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति या कर्मचारी या यहां तक कि अस्पताल में मौजूद या काम कर रहे डॉक्टर द्वारा सिद्ध या सत्यापित नहीं किया गया है--- प्रतिवादी ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि मृतक द्वारा दिया गया फर्दबयान मृत्यु पूर्व कथन माना जाएगा और यह वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्ट और प्रत्यक्ष साक्ष्य है।

निर्णय: मृतक का मृत्युपूर्व कथन प्रकृति के सामान्य क्रम में किया गया था और मृत्यु की कोई आशंका या अपेक्षा नहीं थी क्योंकि यह प्रारंभिक अवसर पर नहीं किया गया था ("प्रथम अवसर का नियम"), बल्कि घटना की तिथि से लगभग तीन से चार दिन बाद किया गया था --- पीड़ित/मृतक द्वारा दिया गया मृत्युपूर्व कथन पूर्ण नहीं है और जिन परिस्थितियों में मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया गया था, वे उचित संदेह उत्पन्न करते हैं --- मृतक के परिवार के सदस्यों ने किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई लिखित बयान या औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी जब तक कि डॉक्टर ने पीड़ित/मृतक के फर्दबयान को दर्ज करने के

लिए प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा, लेकिन उक्त प्रार्थना-पत्र रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अंततः घटना के घटित होने पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ --- मृत्यु से पहले मृतक का उपचार करने वाले किसी भी डॉक्टर की गवाही नहीं की गई --- अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में प्रमुख और मूल विसंगतियां --- अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा --- दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय रद्द किया गया---अपील स्वीकार की गई। **(पैरा- 6, 8, 36-40)**

2023 **आईएनएससी** 758 .....**पर भरोसा किया गया।**

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

दिनांक: 26-07-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर की गई है (जिसे आगे 'सीआरपीसी' कहा जाएगा) जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 468/2013 (सरैया थाना कांड संख्या 304/2010 से उत्पन्न) में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-I, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 12.04.2019 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 16.04.2019 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा-302/34, 341 और 504/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और धारा-302/34 के अंतर्गत कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना अदा न करने पर जुर्माने के साथ-साथ एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा-341/34 के तहत अपराध के लिए एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास तथा धारा-504/34 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास तथा सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया

गया है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री बीरेंद्र नाथ मिश्रा और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना गया।

3. वर्तमान अपील दायर करने के पीछे संक्षिप्त तथ्य यह है कि 25.11.2010 को रात्रि 9:15 बजे सरैया पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सूचक (मृतक) के फर्दबयान के अनुसार, 24.11.2010 को सायं लगभग 5:00 बजे सूचक 2010 के विधानसभा चुनाव में जनता दल (यू) के प्रत्याशी श्री अशोक सिंह की जीत का जश्न अपने गेट पर मना रहा था तथा पटाखे भी जला रहा था। आगे बताया गया है कि राम सागर महतो, जिया लाल महतो, जादू महतो, सरजुग महतो, सिया लाल महतो और सुनील महतो वहां पहुंचे और गंदी-गंदी गालियां देने लगे, जब सूचक ने विरोध किया तो राम सागर महतो और जिया लाल महतो (अपीलकर्ता) ने सूचक के हाथ पकड़ लिए और सुनील महतो ने चाकू को बाएं सीने (पेट) के नीचे घोंप दिया, जिससे खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही सभी हमलावर भाग गए तथा उसके बाद हो-हल्ला होने पर ग्रामीण (1) पप्पू सिंह, (2) संतोष सिंह, (3) राकेश महतो, (4) रघु नाथ महतो वहां पहुंचे तथा सूचक को जीप से सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन सूचक के बेहतर इलाज के उद्देश्य से उसे मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसे आई.सी.यू. में भर्ती कराया गया। यह भी बताया गया है कि यह घटना भूमि विवाद के कारण हुई, जिसके लिए सरैयां थाना कांड संख्या 304/2010 दिनांक 27.11.2010 को धारा 341, 323,324,307/34 भा.द.वि. के अंतर्गत कथित अपराध के लिए दर्ज किया गया।

4. मुखबिर के फर्दबयान के आधार पर सरैया थाना कांड संख्या 304/2010 दिनांक 27.11.2010 दर्ज किया गया। जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। इसके बाद अपीलकर्ता का दूसरा आरोप पत्र प्रस्तुत किया और मामले को अन्य आरोपियों से अलग करते हुए अलग से कार्यवाही की।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कुल 10 (दस) गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अभि.सा.-1 रघुनाथ महतो, अभि.सा.-2 राकेश महतो, अभि.सा.-3 सीता राम महतो, अभि.सा.-4 डॉ. रामा नंद चौधरी, अभि.सा.-5 मोहन महतो, अभि.सा.-6 लाल बाबू महतो (मृतक का पुत्र), अभि.सा.-7 श्याम सुंदर सिंह (एएसआई), अभि.सा.-8 शत्रुघ्न महतो (मृतक का पुत्र), अभि.सा.-9 सुमित्रा देवी (मृतक की पत्नी), अभि.सा.-10 हरेंद्र कुमार सिंह (जांच अधिकारी) शामिल हैं।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेन्द्र नाथ मिश्रा ने शुरू में कहा कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और सभी गवाहों के बयान से पता चलता है कि उन्होंने मृतक को चाकू के घाव या खून से लथपथ जमीन पर गिरते देखा है। मृतक का फर्दबयान दर्ज करने वाले अभि.सा.-7 ने कहा है कि जिस आईसीयू में मृतक का इलाज चल रहा था, वहां कोई मौजूद नहीं था। इसके अलावा, डॉक्टर के औपचारिक अनुरोध पर अभि.सा.-7 अस्पताल पहुंचा, लेकिन वह अनुरोध करने वाले डॉक्टर या अस्पताल के किसी अटेंडेंट या स्टाफ से नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है और अपीलकर्ता घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं था, बल्कि वह सुबह रघुनाथ राय के साथ आलू बोने के लिए अपने खेत में था और शाम तक वहीं मौजूद था। मृतक का मृत्यु पूर्व बयान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी या यहां तक कि अस्पताल में मौजूद या काम कर रहे डॉक्टर द्वारा सिद्ध या सत्यापित नहीं किया गया है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह के संबंध या आधार का अभाव है और अपीलकर्ता को अनुमान और अनुमान के आधार पर दोषी ठहराया गया है, जो उचित संदेह से परे दोषी होने का संकेत देने वाले मौखिक या भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।

8. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह ने अपील का पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ता जिया लाल महतो के

विरुद्ध सीधा आरोप है। मृतक विधायक अशोक सिंह का समर्थक था, जबकि अपीलकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्त राजद के समर्थक थे तथा अपीलकर्ता एवं मृतक के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी एवं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने के लिए अपीलकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने विवाद शुरू किया और वर्तमान घटना घटित हुई। अपीलकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्त रामसागर महतो ने मृतक का हाथ पकड़ लिया, जहां सुनील महतो ने मृतक पर चाकू से वार कर दिया, जिससे मृतक गिर गया और बाद में उपचार के दौरान 04.12.2010 को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक द्वारा दिया गया फर्दबयान मृत्युपूर्व कथन माना जाएगा और यह वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य है, अतः अपील स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अवलोकन किया है।

10. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक अंश की सराहना करना चाहेंगे।

11 विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों से पूछताछ की।

12. अभि.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह दोनों पक्षों को जानता है तथा उक्त मामला जिया लाल महतो, राम सागर महतो, सुनील महतो सहित कुल पांच लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। घटना दिनांक 24.11.2010 को शाम 5 बजे हुई, जब अभि.सा.-1 अपने दरवाजे पर खड़ा था। मृतक विधायक अशोक कुमार सिंह की जीत के अवसर पर अपने दरवाजे पर पटाखे जला रहा था। इसी बीच आरोपीगण आये और मृतक को गाली देने लगे। इसके बाद वे गाली देने लगे, मृतक पर चिल्लाने लगे तथा मारपीट भी करने

लगे। इसके बाद सुनील महतो ने चाकू निकालकर मृतक पर वार कर दिया तथा भाग गया। इसके बाद अभि.सा.-1 ने कहा है कि वह उसे सरैया अस्पताल ले गया, जहां से उसे मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया तथा वहां चार दिनों तक उसका इलाज चला, फिर उसे पटना रेफर कर दिया गया। मृतक की मृत्यु 04.12.2010 को पटना में हुई। सीताराम महतो, राकेश महतो, पप्पू सिंह, संतोष कुमार सिंह, चालिया देवी, सुमित्रा देवी, बच्ची देवी और गांव के कई अन्य लोगों ने घायल/मृतक को देखा और उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जिया लाल महतो की पहचान की, जो वर्तमान अपीलकर्ता है। मृतक उसका चचेरा भाई है और उसे टाइटल केस के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जो मृतक और अपीलकर्ता के बीच था।

13. अपने जिरह में, अभि.सा.-1 ने अपने घर और उसके स्थान के बारे में बताया है, साथ ही मृतक और उसके बीच संपत्ति के बंटवारे के बारे में भी बताया है। उसने मृतक और उसके बीच संबंधों के बारे में भी बताया है और अपीलकर्ता और मृतक के बीच चल रहे संपत्ति विवाद के बारे में भी बताया है। घटना *माघ* में हुई और उसने कहा कि उसे नहीं पता कि शाम हो गई थी या सुबह। घटना के समय उसके परिवार के सदस्य उसके घर में मौजूद थे और शोर-शराबा सुनने के बाद वह वहां गया तो देखा कि मृतक जमीन पर बेहोश पड़ा था और कुछ लोग वहां गए और मृतक को वैन से अस्पताल ले गए। वे सबसे पहले मृतक को छह बजे सरैया अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी देखभाल की और मृतक बेहोश था, बाद में, वे मृतक को मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले गए जहां मृतक चार दिनों तक रहा। उन्होंने आगे कहा कि मृतक अस्पताल से भाग गया और लोगों ने विरोध किया कि मरीज कहां गया। उन्हें नहीं पता कि वहां कोई अटेंडेंट मौजूद था या नहीं। फिर उसे पटना रेफर कर दिया गया और उसका पटना के किसी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और चार दिनों के बाद अभि.सा.-1 को सूचित किया गया कि मृतक ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि संपत्ति के बंटवारे के चल रहे मामले के

कारण अपीलकर्ता को फंसाने के लिए यह कोई झूठा मामला नहीं है। मृतक नियमित रूप से शराब पीता था, लेकिन घटना के दिन वह नशे में नहीं था और उन्होंने यह भी कहा कि मृतक ने अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए खुद को चाकू नहीं मारा और अपीलकर्ता दोषी है।

14. अभि.सा.-2, ने अपने मुख्य परीक्षण में, कहा है कि घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शाम साढ़े पांच बजे हुई थी। अभि.सा.-2 एक दुकान पर खड़ा था, तभी उसने मृतक को अपने दरवाजे पर पटाखे फोड़ते देखा और मृतक उस स्थान से 10 से 15 फीट की दूरी पर था, जहां अभि.सा.-2 खड़ा था। जिया लाल महतो (अपीलार्थी), सिया लाल महतो, राम सागर महतो और सुनील महतो, कुल चार से पांच लोगों ने मृतक को गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। सुनील महतो ने मृतक को चाकू मार दिया, जिससे मृतक गिरकर बेहोश हो गया। गांव के कई लोग उसे सरैया अस्पताल में डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसका इलाज किया गया और उसे मुजफ्फरपुर के मां जानकी अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में उसे पटना ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कई लोगों ने घटना देखी और अभि.सा.-2 ने कहा है कि अपीलार्थी वहां मौजूद था और वह उसे और अन्य आरोपियों को पहचानता है।

15. अपने प्रतिपरीक्षण में, अभि.सा.-2 ने बताया कि अपीलकर्ता भी उसी गांव का निवासी है तथा वह अपीलकर्ता को पहचानता है। उसने मृतक के घर तथा अपीलकर्ता के बीच की दूरी के बारे में भी बताया तथा घटना के दिन अभि.सा.-2 दूसरे गांव से आ रहा था। वह रौशन की दुकान पर खड़ा था तथा दुकान मृतक के घर से 50 मीटर की दूरी पर थी। शोरगुल होने पर वह घटनास्थल के पास नहीं गया, बल्कि दूर से देखा कि मृतक पर चाकू से वार किया गया था तथा उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अभि.सा.-2 का बयान पुलिस को दिया गया। अभि.सा.-2 ने बताया कि अपीलकर्ता नियमित रूप से शराब पीता था तथा उसने आगे बताया कि वह झूठी गवाही नहीं दे रहा है तथा उसे अपीलकर्ता तथा मृतक के

बीच भूमि विवाद के बारे में जानकारी नहीं थी।

16. अभि.सा.-3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 24.11.2010 को शाम 5 बजे घटित हुई थी तथा अभि.सा.-3 अपने दरवाजे पर था। विधायक अशोक सिंह की जीत की खुशी में मृतक अपने दरवाजे पर पटाखे फोड़ रहा था। इसी दौरान रामसागर महतो, जिया लाल महतो (अपीलार्थी), सुनील महतो, सरयू महतो तथा जादू महतो आये तथा मृतक को गाली देने लगे तथा मारपीट करने लगे। राम सागर महतो तथा जिया लाल महतो (अपीलार्थी) ने मृतक को पकड़ लिया तथा सुनील महतो ने मृतक के बायें हाथ की हड्डी पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे सरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया तथा मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। मृतक को मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उसका चार दिनों तक उपचार किया गया तथा फिर उसे बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया, जहां उसका चार दिनों तक उपचार किया गया। 4 दिसंबर को उनका निधन हो गया। अभि.सा.-3 सभी आरोपियों को पहचानता है।

17. अपने प्रतिपरीक्षण में, अभि.सा.-3 ने बताया कि मृतक गांव का ही उसका चचेरा भाई है। घटना के समय, अभि.सा.-3 अपने दरवाजे पर अकेला बैठा था तथा उसके परिवार के सदस्य अपना काम कर रहे थे। मृतक विधायक अशोक सिंह के चुनाव में काम नहीं कर रहा था, बल्कि उनके पक्ष में मतदान किया था। गांव में कोई जुलूस नहीं निकला था। अभि.सा.-3 ने शोरगुल और हो-हल्ला सुना तो वह आया और मृतक के शरीर पर खून के धब्बे देखे। मृतक लुंगी और पैंट पहने हुए था, जिसके नीचे खून के धब्बे थे। मृतक का अपीलकर्ता के साथ टाइटल विवाद चल रहा है, जिसमें अभि.सा.-3 भी पक्षकार है। पुनः अभि.सा.-3 ने बताया कि वह टाइटल मुकदमे में पक्षकार नहीं है। अभि.सा.-3 को नहीं पता कि घटना के दिन वह नशे में था या नहीं। अभि.सा.-3 को यह भी नहीं पता कि मृतक मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर से भाग गया था।

18. पीडब्लू-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि 04.12.2010 को वह पटना के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में लेक्चरर के पद पर तैनात था और उसी दिन उसने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु, बाहरी और आंतरिक चोटें देखी गईं-

(i) बायीं छाती के निचले हिस्से पर *1''X1/4''* आकार का साफ कटे हुए मार्जिन के साथ एक चाकू से वार किया गया घाव।

(ii) बायीं निप्पल के नीचे *4-1/4''* और

(iii) अधिजठर क्षेत्र की मध्य रेखा से बायीं ओर *5''*। ।

राय- मृतक की मृत्यु तेज धारदार नुकीले हथियार से हुई चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई। मृत्यु के बाद से पोस्टमार्टम के समय से *6* से *12* घंटे का समय बीता।

19. अपने प्रतिपरीक्षण में, अभि.सा.-4 ने बताया है कि वह जुलाई, 2010 से मई, 2012 तक पी.एम.सी.एच., पटना में पदस्थापित था तथा मृतक का पोस्टमार्टम उसके द्वारा ही किया गया था। मृतक के शरीर पर पाया गया जख्म बिना सिला हुआ था तथा उस पर केवल चिपकने वाले टेप से पट्टी बंधी थी तथा सर्जिकल ड्रेनेज दिया गया था तथा जख्मों के अंदर खून जमा हुआ था। अभि.सा.-4 ने पेट में जमा खून की मात्रा तथा उदर गुहा में उपस्थित द्रव की मात्रा भी बिना तोले बतायी है। अभि.सा.-4 ने चाकू से किये गये जख्म का आकार तथा माप तोला है, लेकिन उसका उल्लेख नहीं किया है तथा आगे कहा है कि ऐसा जख्म किसी धारदार हथियार से किया गया हो सकता है।

20. अभि.सा.-5 ने अपनी मुख्य जांच में कहा कि उसके पिता की मृत्यु 04.12.2010 को सुबह 10 बजे आशुतोष नर्सिंग होम, पटना में इलाज के दौरान हुई थी और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर गवाह के तौर पर जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उसने आगे बताया कि फर्दबयान पर हस्ताक्षर उसके पिता (मृतक) के हैं। उसने आगे बताया

कि उसने अपना बयान तीन बार दिया है, पहला बयान 26.11.2010 को, दूसरा बयान 04.12.2010 को और उसे तीसरे बयान की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

21. अपने जिरह में, अभि.सा.-5 ने कहा है कि उसके पिता को मां जानकी अस्पताल से पटना रेफर किया गया था और उसके पिता इलाज के दौरान मां जानकी अस्पताल से भागे नहीं थे। उसे आशुतोष नर्सिंग होम के डॉक्टर का नाम भी याद नहीं है, जिसने उसके पिता का इलाज किया था, जो पटना के राजेंद्र नगर में था। उसने आगे कहा कि फर्दबयान उसके सामने नहीं लिखा गया था और उसमें जो कुछ भी लिखा गया था, उसे उसने पढ़ा है और बाद में जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। उसकी दादी झलिया देवी ने भी अपीलकर्ता के खिलाफ टाइटल सूट दायर किया है।

22. अभि.सा.-6 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 24.11.10 को शाम 5 बजे घटित हुई। उस समय वे अपने घर पर थे, तभी गांव के जिया लाल महतो, सियालाल महतो, राम सागर महतो, जादु महतो, सरयुग महतो एवं राम सागर महतो आये और मृतक के साथ गाली-गलौज करने लगे जब मृतक अपने दरवाजे पर अशोक सिंह के विधायक चुनाव जीतने के उपलक्ष्य में पटाखा फोड़ रहा था। इसी बात को लेकर, अपीलकर्ता एवं अन्य सह-अभियुक्तगण, जो राजद के समर्थक थे, ने पूछा कि तुम पटाखा क्यों फोड़ रहे हो, इस पर दरवाजे पर हाथापाई हुई और वे लोग लाठी-डंडे एवं भाला लेकर आ गये और जब उनकी भाभी, बहू एवं वे स्वयं अपने आप को बचाने गये, तो अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्तगण सभी के साथ मारपीट एवं धक्का-मुक्की करने लगे। शिवदत्त महतो की पिटाई करते समय राम सागर महतो एवं जिया लाल महतो ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा सुनील महतो ने उसके बाएं पंजरे में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गिर पड़ा। वह होश में था तथा बड़बड़ाने लगा कि चाकू घोंप दिया गया है। घटना को देखकर उसके अलावा पप्पू सिंह, संतोष सिंह, विनोद सिंह, राजेश महतो, राकेश महतो आदि ने देखा तथा जब वहां उपस्थित परिजनों एवं अन्य लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो अपीलकर्ता एवं सह अभियुक्तों ने

उन्हें धक्का दिया तथा रोकने पर जान से मारने की धमकी दी। मृतक को सरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया तथा उसके बाद बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया तथा सदर अस्पताल द्वारा उसे मां जानकी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन मां जानकी अस्पताल में बेहतर उपचार नहीं होने के कारण उसे पटना रेफर कर दिया गया। इसके बाद उसे पटना के राजेंद्र नगर स्थित आशुतोष नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां 04.12.2010 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे पांच दिनों तक मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने आगे बताया कि वह आरोपियों को पहचानता है और बताया कि उन पर पहले भी हत्या और अपहरण के दो मामले दर्ज हैं।

23. अपने प्रतिपरीक्षण में, अभि.सा.-6 ने कहा है कि उसने घटना के 15 दिन बाद पुलिस को अपना बयान दिया है। उसने आगे कहा कि यह सच नहीं है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, बल्कि उसने कहा था कि वह धनबाद में चाय पत्ती का व्यवसाय करता है और उसने घटना की सूचना अपनी पत्नी को फोन पर दी थी। मृतक और अपीलकर्ता के बीच घटना के एक वर्ष पूर्व से भूमि विवाद चल रहा था। अभि.सा.-6 ने कहा है कि घटनास्थल के उत्तर में जिया लाल महतो का घर है, दक्षिण में उसका अपना घर है, पूरब में खाली जमीन है और पश्चिम में सरयुग महतो का घर है। उसने आगे कहा कि सूर्यास्त के समय जब वह अपने घर पर था तो उसने कुछ शोर सुना और देखा कि मृतक नीचे गिरा हुआ है, खून से लथपथ है और मृतक बेहोश है। उन्होंने आगे कहा कि यह सच नहीं है कि अभि.सा.-6 ने यह कहकर झूठा बयान नहीं दिया है कि मृतक उसका भाई है।

24. अभि.सा.-7 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 25.11.2010 को 21:15 बजे, उन्होंने मृतक का फर्दबयान (प्रदर्श-3) दर्ज किया, जो मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर के आई.सी.यू. में भर्ती था, तथा उसे सुनाया गया तथा उसके द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया। उक्त कथन के आधार पर, थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज करने का अनुमोदन

किया गया, जिसे प्रदर्श-4 अंकित किया गया है।

25. अपने जिरह में अभि.सा.-7 ने कहा है कि चूंकि मृतक आईसीयू में था, इसलिए बयान दर्ज करने के समय वहां कोई और नहीं था, लेकिन वह होश में था और बोल सकता था। वह आधे घंटे तक आईसीयू में रहा और उस समय वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था।

26. अभि.सा.-8 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसका बयान घर पर ही दिया गया था तथा मृतक की मृत्यु के पश्चात दर्ज किया गया था। घटना दिनांक 24.11.2010 को शाम 5 बजे की है तथा उस समय विधायक अशोक सिंह की जीत के उपलक्ष्य में उसके पिता अपने दरवाजे पर पटाखे फोड़ रहे थे तथा इसी बीच अपीलकर्ता अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आये तथा मृतक को गाली देने लगे। अपीलकर्ता तथा अन्य सह-अभियुक्तों ने मृतक का हाथ पकड़ लिया तथा सुनील महतो ने धारदार चाकू निकालकर अपने पिता को जान से मारने की नीयत से सीने के बायीं ओर पेट के नीचे घोंप दिया। मृतक को सरैया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज नहीं हो सका तथा उसे आगे मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया तथा वहां से उसे मां जानकी अस्पताल मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया।

27. अपने जिरह में, अभि.सा.-8 ने कहा है कि घटना अपीलकर्ता के घर की सीमा के भीतर हुई थी। अभि.सा.-8 ने अपने घर और घटनास्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। घटना की तिथि पर, अभि.सा.-8 अन्य ग्रामीणों के साथ अपने पिता को सरैया अस्पताल ले गया जो मृतक के घर के पास था। उसे डॉक्टरों का नाम याद नहीं है और यह भी याद नहीं है कि डॉक्टर ने उसे रेफरल पेपर दिया था या नहीं। सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर सरैया अस्पताल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है जहां उसे रात भर भर्ती कराया गया था और आगे वह बिना किसी रेफरल के मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर चला गया। जब मृतक को सरैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो डॉक्टर ने परिवार के सदस्यों

और ग्रामीणों से घटना के संबंध में पुलिस को सूचित करने का अनुरोध किया था। सदर अस्पताल में भर्ती होने के बाद, अभि.सा.-8 ने बताया कि उसके पिता के घाव पर टांके लगाए गए थे, लेकिन उसे यह याद नहीं है कि उसके पिता को कितने टांके लगाए गए थे। उसने आगे बताया कि उसके पिता की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई थी। अभि.सा.-8 ने बताया कि यह सच नहीं है कि उसके पिता मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर से भाग गए थे और कई लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी। अपीलकर्ता और उसके पिता के बीच टी.एस. संख्या 402/07 के तहत मामला दर्ज था।

28. अभि.सा.-9 (मृतक की पत्नी) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना *अगहन* माह की 24 तारीख को हुई थी और उस समय वह दरवाजे पर थी। उसी समय छह लोग आये और उसके पति को गाली देने लगे तथा सह-अभियुक्त सुनील महतो ने उसके पति की पसलियों में धारदार चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसका पति गिर पड़ा और ग्रामीणों ने उसके पति को उठाकर सरैया अस्पताल, फिर सदर अस्पताल और वहां से मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर ले गये, जहां वह चार दिनों तक रहा और फिर पटना रेफर कर दिया गया।

29. अपनी जिरह में, अभि.सा.-9 ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि अशोक सिंह ने किसी पार्टी से चुनाव लड़ा था या नहीं, लेकिन उसका परिणाम उसी दिन घोषित हो गया था। उसके पति के घाव में मवाद था। अभि.सा.-9 की सास अपीलकर्ता के पिता के खिलाफ टाइटल सूट में शामिल थी।

30. अभि.सा.-10 ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि वह सरैया थाने में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। अनुसंधान के दौरान उन्होंने सूचक का बयान लिया तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया, जो सूचक के घर के बगल में कदंब वृक्ष के पास है। घटना का समर्थन करने वाले गवाहों का बयान लिया गया तथा उन्होंने स्वतंत्र गवाह हरेन्द्र राय का बयान भी लिया तथा बयानों एवं घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र

समर्पित किया।

31. अपने प्रतिपरीक्षण में, अभि.सा.-10 ने कहा है कि अपीलकर्ता ने 16.03.2011 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था तथा अपीलकर्ता का बचाव कथन भी नहीं लिया गया क्योंकि उसने सीधे न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। मृतक का इलाज करने वाले मां जानकी अस्पताल, मुजफ्फरपुर के डॉक्टर का बयान नहीं लिया गया तथा उसने मृतक के खून से सने कपड़े भी नहीं लिए तथा केस डायरी में यह भी नहीं लिखा गया कि मृतक कितने दिनों तक पटना में भर्ती रहा।

32. साक्ष्यों से यह बात सामने आती है कि जिन गवाहों ने बयान दिए हैं, उनमें से कोई भी कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने मृतक को केवल जमीन पर लेटे हुए देखा है। अभि.सा.-2 ने यह भी कहा है कि उसने अपीलकर्ता को मृतक को पकड़े हुए या अन्य सह-आरोपियों को मृतक पर चाकू से वार करते हुए नहीं देखा है।

33. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि एएसआई श्यामसुंदर सिंह ने मुजफ्फरपुर के मां जानकी अस्पताल में मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। फर्दबयान/मृत्यु पूर्व बयान में छह आरोपियों के नाम हैं और उसके बाद फर्दबयान में एक और नाम जिया लाल महतो (अपीलकर्ता) का उल्लेख है, जिसने मृतक को पकड़ रखा था, जबकि अन्य सह-आरोपियों ने मृतक को चाकू मारा था। फर्दबयान एएसआई ने दर्ज किया था, जिसने अपनी जिरह में कहा है कि फर्दबयान पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं थे और वह आईसीयू में आधे घंटे तक रहा और उस अवधि के दौरान कोई भी मौजूद नहीं था या कोई भी आईसीयू में नहीं आया, जहां मृतक मौजूद था। उन्होंने आगे कहा है कि फर्दबयान दर्ज करने के बाद एएसआई ने अस्पताल में मौजूद किसी भी डॉक्टर या मृतक के किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर के मां जानकी अस्पताल के डॉक्टर से भी बात नहीं की, जिनसे उन्हें अनुरोध मिला था और जिसके आधार पर

एएसआई उक्त अस्पताल गए थे।

34. इससे फर्दबयान/मृत्युपूर्व कथन पर गंभीर संदेह पैदा होता है क्योंकि फर्दबयान में विसंगतियां और विरोधाभास हैं, साथ ही रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और एएसआई की जिरह में भी विसंगतियां और विरोधाभास हैं। एएसआई ने कहा है कि उसने किसी से मुलाकात नहीं की है या उसके द्वारा दर्ज किए गए फर्दबयान का कोई गवाह नहीं था।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, में **इरफ़ान @ नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023 आईएनएससी 758)** यह माना है कि-

> *""मृत्यु पूर्व कथन कब स्वीकार किया जाना चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है; न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर इस प्रश्न का निर्णय करे और इसकी सत्यता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो। इसे निर्धारित करने के लिए नीचे दिए गए कुछ कारकों पर विचार किया जा सकता है, हालांकि, वे केवल मृत्यु पूर्व कथन के महत्व को प्रभावित करेंगे, न कि इसकी स्वीकार्यता को: -*
>
> *(i) क्या बयान देने वाले व्यक्ति को मृत्यु की आशंका थी?*
>
> *(ii) क्या मृत्यु पूर्व कथन सबसे पहले अवसर पर किया गया था? "पहले अवसर का नियम"*
>
> *(iii) क्या यह मानने के लिए कोई उचित संदेह*

है कि मृत्यु पूर्व कथन मरने वाले व्यक्ति के मुंह से कहा गया था?

(iv) क्या मृत्यु पूर्व कथन पुलिस या किसी हितबद्ध पक्ष के कहने पर प्रेरित, प्रशिक्षित या नेतृत्व करने का परिणाम था?

(v) क्या बयान ठीक से दर्ज नहीं किया गया था?

(vi) क्या मरने वाले व्यक्ति को घटना को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला था?

(vii) क्या मरने वाले व्यक्ति का बयान पूरी तरह से सुसंगत रहा है?

(viii) क्या मरने वाले व्यक्ति का बयान अपने आप में मरने वाले व्यक्ति की कल्पना का प्रकटीकरण/कल्पना है कि क्या हुआ?

(ix) क्या मरने वाले व्यक्ति का बयान स्वैच्छिक था?

(x) कई मरने वाले बयानों के मामले में, क्या पहला बयान सत्य को प्रेरित करता है और दूसरे मरने वाले बयान के अनुरूप है?

(xi) क्या चोटों के अनुसार, मृतक के लिए मरने वाले व्यक्ति का बयान देना असंभव था?

अभियुक्त के खिलाफ आरोप को उचित संदेह से

परे स्थापित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए। यह सच है कि मृत्यु पूर्व कथन एक ऐसा ठोस सबूत है जिस पर भरोसा किया जा सकता है बशर्ते यह साबित हो जाए कि यह स्वैच्छिक और सत्य था और पीड़ित मानसिक रूप से स्वस्थ था। अदालत के लिए यह कहना ही काफी नहीं है कि मृत्यु पूर्व कथन विश्वसनीय है क्योंकि अभियुक्त का नाम मृत्यु पूर्व कथन में हमलावर के रूप में दर्ज है।

अदालत ने आगे दोहराया कि -

"मृत्यु पूर्व कथन की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसा कथन अत्यंत आवश्यक स्थिति में किया जाता है, जब पक्षकार मृत्यु के कगार पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर मकसद खत्म हो जाता है और व्यक्ति को केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार द्वारा प्रेरित किया जाता है। इसके बावजूद, इस प्रकार के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि कई परिस्थितियां हैं जो उनकी सच्चाई को प्रभावित

> कर सकती हैं। जिस स्थिति में कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, वह इतनी गंभीर और शांत होती है कि कानून में उसके कथन की सत्यता को स्वीकार करने का कारण बनता है। इसी कारण से शपथ और जिरह की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाता है। चूंकि अभियुक्त के पास जिरह करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि मृत्युपूर्व कथन इस तरह का होना चाहिए कि अदालत को उसकी सत्यता और शुद्धता पर पूरा भरोसा हो। हालांकि, अदालत को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृतक का कथन किसी के द्वारा किसी को सिखाए जाने या किसी संकेत या कल्पना की उपज के परिणामस्वरूप न हो।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस वर्तमान मामले में, मृतक के मृत्यु पूर्व कथन के महत्व की कसौटी पर कसते हुए, प्रथम दृष्टया यह है कि मृतक का कथन मृत्यु की प्रत्याशा में नहीं दिया गया था, कथन प्रकृति के सामान्य क्रम में दिया गया था और मृत्यु की कोई आशंका या प्रत्याशा नहीं थी। दूसरे उदाहरण में, मृत्यु पूर्व कथन शीघ्र अवसर पर नहीं दिया गया था ("प्रथम अवसर का नियम"), मृत्यु पूर्व कथन घटना की तिथि से लगभग तीन से चार दिन बाद दिया गया था। तीसरे उदाहरण में पीड़ित/मृतक द्वारा दिया गया मृत्यु पूर्व कथन पूर्ण नहीं है और जिन उदाहरणों में मृत्यु पूर्व कथन दर्ज किया गया था, वे उचित संदेह पैदा करते हैं। मृत्यु पूर्व कथनकर्ता, जिसका

फर्दबयान एएसआई द्वारा दर्ज किया गया था, को घटना को देखने का स्पष्ट अवसर मिला था और वह स्पष्ट रूप से सही स्थिति में था और कथन देने के लिए सचेत मानसिकता में था जिसे बाद में मृत्यु पूर्व कथन के रूप में साक्ष्य के रूप में लिया गया। ये सभी उदाहरण मृतक द्वारा दिए गए मृत्युपूर्व कथन पर संदेह पैदा करते हैं और अभियोजन पक्ष इस प्रकार सभी उचित संदेहों से परे मृतक द्वारा दिए गए कथन और अभियोजन पक्ष की कहानी को स्थापित करने में विफल रहा है।

37. मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ-साथ मृतक के पड़ोसी, जिन्होंने मृतक को वैन द्वारा अस्पताल पहुंचाया, या घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई लिखित बयान या औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई, जब तक कि डॉक्टर ने पीड़ित/मृतक के फर्दबयान दर्ज करने के लिए अनुरोध नहीं भेजा, लेकिन उक्त अनुरोध रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। इस तरह की किसी भी घटना के घटित होने के बाद किसी भी परिवार के सदस्य या पड़ोसी या किसी भी विवेकशील व्यक्ति की सामान्य कार्यवाही पुलिस अधिकारियों को सूचित करना और पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करना या फर्दबयान दाखिल करना है। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किया गया है, जिससे अंततः घटना की घटना और जिस तरह से गवाहों और मृतक द्वारा दिए गए फर्दबयान द्वारा अभियोजन पक्ष की कहानी बनाई गई है, उस पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

38. पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. रामानंद चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि पोस्टमार्टम 04.12.2010 को शाम 5:00 बजे किया गया था और बाएं सीने के निचले हिस्से में एक चाकू का घाव था। मृतक की मौत का कारण डॉक्टर की राय में धारदार हथियार से लगी चोटों के कारण रक्तस्राव और सदमे के कारण हुआ है। मृतक का पहले सदर अस्पताल में इलाज किया गया था और गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक को डॉक्टर द्वारा देखभाल की गई और फिर मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां मृतक का चार दिनों तक इलाज किया गया और बाद में उसे पटना रेफर कर दिया गया और वहां भी मृतक

को तीन-चार दिनों तक भर्ती रखा गया। मृतक की मृत्यु दिनांक 04.12.2010 को हो गई तथा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है कि चाकू के घाव की सिलाई नहीं की गई थी तथा घाव पर केवल चिपकने वाले टेप से पट्टी बांधी गई थी तथा सर्जिकल ड्रेनेज दिया गया था। मृतक के पुत्र अभि.सा.-8 ने जिरह में कहा है कि उसके पिता को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया था तथा घाव पर टांका लगाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि किसी भी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर द्वारा घाव पर टांका नहीं लगाया गया था। यहां यह जानकर आश्चर्य होता है कि विभिन्न अस्पतालों में इतने दिनों के उपचार के बाद भी एक भी डॉक्टर ने मृतक के चाकू के घाव पर टांका नहीं लगाया, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह और बढ़ गया है। कोई भी डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देते समय सबसे पहले घाव को साफ करता है, तथा घाव पर टांका लगाता है, ताकि मरीज के रक्त की हानि को नियंत्रित करने के लिए रक्त का प्रवाह रोका जा सके। वर्तमान मामले में मृतक को तीन अस्पतालों में ले जाया गया और यहां तक कि उसे आईसीयू में भी भर्ती कराया गया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मृतक के घाव की देखभाल नहीं की और केवल सर्जिकल पट्टी से मृतक के घाव पर टेप लगाया और इसके अलावा रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि किसी भी डॉक्टर ने मृतक की जांच नहीं की, जिसने मृत्यु से पहले मृतक का इलाज किया था।

39. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाहों के उपरोक्त बयान से, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में बड़ी और ठोस विसंगतियां हैं। इसके अलावा, फर्दबयान भी संदिग्ध है।

40. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे मामला साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का विवादित फैसला और सजा का आदेश दर्ज किया है। ऐसे में, उन्हें रद्द करने और अलग रखने की

आवश्यकता है।

41. तदनुसार, सत्र परीक्षण संख्या 468/2013 (सरैया थाना मामला संख्या 304/2010 से उत्पन्न) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 12.04.2019 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 16.04.2019 के सजा के आदेश को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता अर्थात जिया लाल महतो को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

42. चूंकि, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 569/2019 के अपीलकर्ता जिया लाल महतो हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें तत्काल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

43. अपील स्वीकार की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

आनंद कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।